

:: कार्यालय ज्ञापः

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 की धारा-13, 14 एवं 17(1)(ख) के अनुसार विभागीय स्तर पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प प्राप्त किया जाना है, जिस हेतु 10 इच्छित रिक्त स्थानों के लिये विकल्प के साथ आवेदन पत्र मार्गें जाने की व्यवस्था अधिनियम की धारा-14 में उल्लिखित है।

सभी पात्र तथा इच्छुक कार्मिक उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण हेतु इच्छित अधिकतम 10 स्थानों का चयन कर अनुरोध पत्र अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि तदनुसार सूचना दिनांक 30-04-2018 तक विभागीय वेबसाईड पर अपलोड की जा सके।

विभाग में रिक्त स्थलों की सूचना वेबसाईड पर अपलोड की जा चुकी है।

(डॉ० आनन्द श्रीवास्तव)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय : श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

संख्या : 1840 /स्था-दौ-297-वार्षिक स्थाना०/2005 दिनांक : 27-4-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उप श्रम आयुक्त, कुमाऊँ/मुख्यालय/हरिद्वार/गढ़वाल क्षेत्र/ऊधमसिंह नगर।
- 2- सगस्त सहायक श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड।
- 3- सगस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- गार्ड फाईल।
- 4-

Hand
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।